ग़ुदार दुसाद

बनाम

बिहार राज्य

फरवरी 15, 1972

[जे. एम. शेलट, पी. जगनमोहन रेड्डी और एच. आर. खन्ना, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45), धारा 300, तीसरा खंड — मृतक के सिर पर लाठी से एक वार जानबूझकर किया गया — अपराध की प्रकृति।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300, खंड 3 में दो भाग शामिल हैं। पहले भाग के तहत यह दिखाया जाना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पाई गई विशेष चोट को लगाने का आरोपी का इरादा था। दूसरे भाग के लिए आवश्यक है कि जिस शारीरिक चोट को पहुँचाया जाना था, वह मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थी। जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मृतक पर जो चोट पाई गई थी, वह आरोपी की मंशा से लगी थी या क्या वह दुर्घटना से हुई थी, बिना उसके उस शारीरिक चोट को पहुँचाने के इरादे के। एक बार यह पाया जाता है कि चोट आकस्मिक नहीं थी और आरोपी का इरादा चोट पहुँचाना था जो वास्तव में मृतक के शरीर पर लगी थी और पाई गई थी पहला भाग संतुष्ट है। न्यायालय को तब दूसरे भाग में जाना चाहिए और, चिकित्सा साक्ष्य के आलोक में यह पता लगाना चाहिए कि क्या शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। यदि न्यायालय यह पाता है कि दोनों भागों की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, तो मामला खंड के अंतर्गत आता है जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो। [508 सी-एफ]

वर्तमान मामले में, मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि मृतक पर आरोपी द्वारा हमला पूर्व नियोजित था और आरोपी द्वारा मृतक को दिया गया प्रहार आकस्मिक नहीं

था। यह तथ्य कि आरोपी ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया, यह दर्शाता है कि मृतक के सिर पर पाई गई सटीक चोट का कारण बनना उसका इरादा था। चूँकि चोट जानबूझकर लगी थी और आकस्मिक नहीं थी, और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, और चूंकि यह वास्तव में मृतक की मृत्यु का कारण बनती है, इसलिए मामला पूरी तरह से भारतीय दण्ड संहिता धारा 300 के खंड 3 के दायरे में आएगा, और अपीलार्थी हत्या के अपराध के दोषी होंगे। यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा केवल एक ही प्रहार किया गया उससे अपराध कम नहीं हो जाता और उसे हत्या न करने के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। [508 एफ-एच; 509 डी-ई]

चामरू बुधवा **बनाम** *मध्य प्रदेश राज्य,* **ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 652 में की गई टिप्पणियाँ, व्याख्या और वैशिष्टता प्राप्त।**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 1969 की आपराधिक अपील सं 94।

1966 की आपराधिक अपील सं. 539 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30 जनवरी, 1968 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से *नूर-उद-दीन अहमद* और *यू. पी. सिंह*।

उत्तरदाता के लिए *आर. सी. प्रसाद*।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

खन्ना, न्यायमूर्ति गुदर दुसाद अपीलार्थी पर 23 अन्य लोगों के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सारण की न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। अठारह अभियुक्तों को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 147 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे पूर्व गणना पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत अपराध के लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई थी। शेष पाँच अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323 के साथ-साथ अन्य छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था

जिनसे हम संबंधित नहीं हैं। अपील पर पटना उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जबकि अन्य पांच दोषी अभियुक्तों को दी गई सजा के संबंध में कुछ संशोधन किए गए थे। इसके बाद अपीलार्थी विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील करने आया। हालाँकि, अनुमति केवल इस सवाल तक सीमित थी कि क्या अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध हत्या थी या गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है।

यह मामला 14 अगस्त, 1965 को सुबह लगभग 11 बजे सारण जिले के गाँव खहला में हुई एक घटना से संबंधित है। रामलाल भगत, जो लगभग 65 वर्ष के थे, घटना के दौरान हमले के परिणामस्वरूप मारे गए, जबकि उनके बेटे रामाशीष प्रसाद (अभियोजन साक्षी 10) को चोटें आईं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना से एक दिन पहले प्रसादी दुसाद और गणेश दुसाद ने बहरीन भगत (अभियोजन साक्षी 8) की एक बकरी को मार डाला था। मृतक रामलाल भगत की सलाह पर, बहरन भगत ने उस दिन दोपहर 3 बजे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। 14 अगस्त, 1965 की सुबह रामलाल और उनके बेटे रामाशीष अपने धान के खेत में गए। जब वे सुबह लगभग 11 बजे मैदान से लौट रहे थे, रास्ते में छिपे हुए छह दोषी व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। अपीलार्थी ने रामलाल के सिर पर लाठी से वार किया जिसके परिणामस्वरूप रामलाल नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपीलार्थी के साथियों में से एक ने तब चिल्लाकर कहा कि हमला इसलिए किया गया क्योंकि रामलाल बहरन द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए जिम्मेदार था। रामशीष को भी कुछ चोटें आईं। इसके बाद अभियुक्तों ने किसी तरह का बचाव तैयार करने के लिए अपनी एक झोपड़ी में आग लगा दी। उसके बाद आरोपी भाग गया।

बरौली पुलिस थाना के थाना प्रभारी सरजू प्रसाद सिंह को यह सूचना मिली कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी होने के बावजूद आरोपी के दल के बड़ी संख्या में लोग दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए एकत्र हुए थे, घटना स्थल पर आई लेकिन उससे पहले ही रामलाल की हत्या कर दी गई थी। सरजू प्रसाद सिंह ने रामाशीष का बयान

दर्ज किया और उस बयान के आधार पर एक औपचारिक सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना में तैयार की गई थी। मृतक रामलाल के शव का शव परीक्षण 15 अगस्त, 1965 को डॉ. आर. एस. सिंह द्वारा किया गया था।

मुकदमे में अपीलार्थी की दलील थी कि वह गाँव के मुखिया के कहने पर मामले में गलत तरीके से शामिल किया गया था जो अपीलार्थी के प्रति शत्रुतापूर्ण था।

अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार किया कि यह अपीलार्थी वह था जिसने मृतक रामलाल के सिर पर लाठी से वार किया था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड "तीसरे" के तहत आता है। इस प्रकार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।

अपील में हमारा एकमात्र सवाल यह था कि क्या अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध हत्या है या क्या यह गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है। इस संबंध में हम पाते हैं कि डॉ. आर. एस. सिंह के अनुसार, जिन्होंने मृतक के शव का शव परीक्षण किया था, चिकित्सक को मृतक के सिर के बाईं ओर हड्डी तक गहरी 2 "X 1/2" का कटा हुआ घाव मिला। चोट मृत्यु से पहले की थी और लाठी जैसे हथियार से लगी थी। विच्छेदन करने पर चिकित्सक को सिर के ऊपरी भाग की मध्य रेखा से लगभग 2 1/2 इंच दूर बाईं पार्श्विका हड्डी में 3 इंच लंबा फ्रैक्चर मिला। खोपड़ी को हटाने पर चिकित्सक ने मस्तिष्क के बाईं ओर बड़ी मात्रा में रक्त और रक्त के थक्के देखे। मृत्यु, चिकित्सक की राय में, मस्तिष्क के बाईं ओर संपीड़न के कारण था। चिकित्सक ने आगे कहा कि उपरोक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

अपीलार्थी जिसने रामलाल मृतक को उपरोक्त चोट पहुँचाई, हमारी राय में, हत्या के अपराध का दोषी था और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। अपीलार्थी अपने साथियों के साथ रामलाल पर हमला करने के लिए

प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था और अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, उसने रामलाल के सिर पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप रामलाल गिर गया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि रामलाल और आरोपी पक्ष के बीच कोई झगड़ा या गाली-गलौज नहीं हुई थी। इस प्रकार मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि हमला पूर्व नियोजित था और रामलाल के सिर पर प्रहार आकस्मिक नहीं था। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने सिर पर केवल एक प्रहार किया है, अपीलार्थी के अपराध को कम नहीं करेगा और उसे गैर इरादतन हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है, के अपराध का दोषी नहीं बनाएगा। रामलाल के सिर पर प्रहार को लाठी के साथ स्पष्ट रूप से कुछ बल के साथ दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप बाएं पार्श्विक हड्डी का 3" लंबा फ्रैक्चर हो गया था। रामलाल मृतक की तुरंत मृत्यु हो गई और इस तरह, दूसरे प्रहार के लिए कोई अवसर नहीं आया। चूँकि सिर पर चोट जानबूझकर लगी थी और आकस्मिक नहीं थी और चूँकि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ मामला पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड "तीसरे" के दायरे में आएगा। उस खंड के अनुसार, गैर-इरादतन हत्या हत्या है यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से की जाती है और जानबूझकर पहुँचाई गई शारीरिक चोट, प्रकृति के सामान्य क्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। धारा 300 में कुछ अपवादों का भी प्रावधान है लेकिन हम इस मामले में उनसे संबंधित नहीं हैं।

खंड "तीसरा" में दो भाग हैं। पहले भाग के तहत, यह दिखाया जाना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पाई गई विशेष चोट को आरोपी की ओर से मारने का इरादा था। दूसरे भाग में यह आवश्यक है कि जानबूझकर पहुँचाई गई शारीरिक चोट, प्रकृति के सामान्य क्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। जहाँ तक पहले भाग का पता चलता है, न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या मृतक पर जो चोट पाई गई थी, वह आरोपी का

इरादा था या क्या वह दुर्घटना थी, बिना उसके उस शारीरिक चोट को पहुँचाने के इरादे के। एक बार जब यह पाया जाता है कि चोट आकस्मिक नहीं थी और आरोपी का इरादा उस चोट का कारण बनना था जो वास्तव में मृतक के शरीर पर लगी थी और पाई गई थी, तो पहले भाग को संतुष्ट किया जाएगा। न्यायालय तब खंड के दूसरे भाग में जाएगी और चिकित्सा साक्ष्य के प्रकाश में यह पता लगाएगी कि क्या शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। यदि न्यायालय यह पाता है कि दोनों पक्षों की अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, तो मामला खंड "तीसरा" के अंतर्गत आएगा जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के भीतर नहीं आता है।

वर्तमान मामले में, खंड "तीसरा" के दोनों भागों को संतुष्ट कर दिया गया है। जैसा कि पहले देखा गया है, आरोपी द्वारा रामलाल के सिर पर पहुँचाई गई चोट आकस्मिक नहीं थी। यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने शरीर के किसी अन्य हिस्से पर प्रहार करने का लक्ष्य रखा था और कुछ अधिशासी कारण जैसे कि मृतक के अचानक हस्तक्षेप या हरकत से लाठी मृतक के सिर पर लगी। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने रामलाल के सिर पर लाठी से प्रहार किया था, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी का इरादा मृतक के सिर पर सटीक चोट पहुँचाना था। डॉ. आर. एस. सिंह के साक्ष्य से पता चलता है कि उपरोक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और वास्तव में मृतक की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार अपीलार्थी का मामला धारा 300 के खंड "तीसरे" के अंतर्गत आएगा और वह हत्या के अपराध का दोषी होगा।

अपीलार्थी की ओर से *चामरू बुधवा* बनाम *मध्य प्रदेश राज्य* [1] के मामला का संदर्भ दिया गया है। उस मामले में घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज की भारी नोकझोंक हुई थी। जब गाली-गलौज का आदान-प्रदान हो रहा था, तो गुस्सा बढ़ गया और दोनों पक्ष गुस्से में अपने-अपने घरों से बाहर आ गए। झगड़े के दौरान अपीलकर्ता ने मृतक

---

1 ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 652

के सिर पर अपनी लाठी से घातक प्रहार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपराध अपीलार्थी द्वारा आवेग की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपीलार्थी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी के मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 4 से धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आया था और उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाया गया था जो हत्या के बराबर नहीं है। यह भी देखा गया कि अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर एक प्रहार से लगी घातक चोट मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट के इरादे से नहीं लगी थी जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। अपीलकर्ता की ओर से श्री नूरुद्दीन द्वारा जिस अंतिम टिप्पणी पर भरोसा किया गया है, उसे उस मामले के तथ्यों के संदर्भ में की गई टिप्पणी माना जाना चाहिए। उपरोक्त मामला प्रस्ताव का विरोध नहीं करता है कि यदि अभियुक्त जानबूझकर मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार करता है और इस तरह से चोट पहुंचाता है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और वास्तव में मृत्यु का कारण बनता है, तो उसके खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड "तीसरे" के तहत नहीं आएगा।

इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी हत्या के अपराध का दोषी था और न की गैर-इरादतन हत्या का नहीं जो हत्या के बराबर नहीं है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

वीपीएस.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन

तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।